



दिनांक:- 14.06.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.06.2024 को 01 वारण्टी अभियुक्त **इस्तखार पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 684/23 मु0अ0स0 10/23 धारा 414 भादवि चालानी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

इस्तखार पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- मु0अ0स0 -05/23 धारा 380 ,411 भादवि थाना रामपुर मनि0
- मु0अ0स0 - 08/23 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनि0
- मु0अ0स0 - 09/23 धारा 20, 8 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना रामपुर मनि0
- मु0अ0स0 - 10/23 धारा 414 भादवि थाना रामपुर मनि0

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
- का0 2215 ललित कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर



दिनांक: 14.06.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगणों को पीसीआर पर लेकर निशादेही**  
**पर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल, 02 तमंचे, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर**  
**बरामद ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 05.06.24 को वादी श्री सतीश कुमार पुत्र बनारसी निवासी ग्राम छापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र तरसेम निवासी ग्राम ढकदेवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. आयुष पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम बाकरमाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भतीजे सूरज पुत्र प्रवीण कुमार के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से फायर कर गोली मारकर घायल करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 167/24 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें नामजद अभियुक्तगणों ने दिनांक 07.06.24 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.06.24 को अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र तरसेम निवासी ग्राम ढकदेवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. आयुष पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम बाकरमाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को पुलिस कस्टडी में लेकर अभियुक्तगणों की निशादेही से घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर मय नाल में फँसा जिन्दा कारतूस 315 बोर को ग्राम छापुर से अम्बेहटापीर रोड पर स्थित विपिन पुत्र महिपाल के आम के बाग से बरामद किये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण का मेडिकल कराकर पीसीआर की समयावधी के अन्दर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण सचिन व आयुष ने पूछने पर बताया कि हम दोनों और सूरज आपस में अच्छे दोस्त हैं। हम सभी अक्सर एक साथ शराब पीते हैं। अभियुक्त सचिन ने बताया कि कुछ दिन पहले शराब के नशे में मेरी व सूरज की आपस में लड़ाई हो गई थी तथा सूरज ने मेरे साथ गाली गलौच व हाथापाई कर दी थी जिस कारण मुझे काफी बेईज्जती महसूस हुई थी तथा मेरी सगी बहन की गांव छापुर में शादी हुई है जहाँ सूरज द्वारा मेरे साथ की गई हाथापाई व गाली गलौच की बात ग्राम छापुर में भी फैल गई थी जिस कारण मुझे काफी बेईज्जती महसूस हुई थी और उसी बेईज्जती का बदला लेने के लिए दिनांक 05.06.24 को समय करीब 08.30 बजे मैं व आयुष अपने बहनोई आशीष पुत्र सतीश निवासी ग्राम छापुर थाना नकुड़ की मो0सा0 स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP11CC4892 को लेकर कुल्हैड़ी चौहारे के पास गये थे वहाँ जाकर हमने सूरज को फोन किया था हमारे फोन करने के बाद ग्राम कुल्हैड़ी चौहारे के पास जैसे ही सूरज अपनी मोटर साईकिल लेकर आया तो मैंने उसे गाली देते हुए जान से मारने

की नियत से उस पर फायर कर दिया था जिससे गोली उसकी टांग में लगी थी, जब वह शोर मचाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था तो मैंने एक फायर तथा मेरे साथी आयुष ने भी अपने तमंचे से एक फायर कर दिया था। गोली की आवाज सुनकर लोगो की भीड़ को आता देख पकड़े जाने के डर से हम दोनो अपनी मोटर साईकिल से ग्राम बड़ी छापुर की तरफ भाग गये थे। घटना के बाद हमने दोनो तमंचे ग्राम छापुर से अम्बेहटापीर रोड पर स्थित एक आम के बाग में छिपा दिये थे जिन्हे हमने आपको बरामद कर दिया है तथा मोटर साईकिल को मैंने अपने बहनोई के घर पर खड़ा कर दिया था।

### **अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. सचिन पुत्र तरसेम निवासी ग्राम ढकदेवी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. आयुष पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम बाकरमाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 02 तमंचे 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मो0सा0 स्प्लेण्डर प्लस UP11 CC4892

### **अभियुक्त सचिन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 120/19 धारा 307, 452, 504 भादवि व 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 389/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 147, 148, 149, 307 भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

### **बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री माजिद अली थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. का0 844 दीपक कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. का0 2238 मुकेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
6. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14-06-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से चर्च व कब्रिस्तान की जमीन का बैनामा करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.23 को वादी श्री विशप दिनेश कुमार दिवाकर निवासी बी-37 टीचर कालौनी उत्तर पश्चिम दिल्ली द्वारा थाना बेहट उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र कालूराम नि0 विश्वकर्मा कालौनी कस्बा व थाना जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा 2. अहसान कुरैशी पुत्र नामालूम 3. शालू चेयरमैन उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र अहसान कुरैशी निवासीगण कस्बा व थाना बेहट 4. जमीरूल हक पुत्र गुलाम मशी नि0 दिल्ली 5. मधुलिका पत्नी नामालूम नि0 नामालूम 6. एलिक जौन पुत्र जीवन सिंह निवासी बाजोरिया रोड सहारनपुर द्वारा चर्च व कब्रिस्तान की भूमि के कूटरचना करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा करा लेना व कब्जा करने की नीयत से उक्त भूमि की दीवार को तोड़ देने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 319/23 धारा 420/467/468/471/120बी/295/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.06.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र कालूराम नि0 विश्वकर्मा कालौनी कस्बा व थाना जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा को थाना क्षेत्र सरसावा के शाहजहापुर बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-**

सुनील पुत्र कालूराम नि0 विश्वकर्मा कालौनी कस्बा व थाना जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. निरी0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.06.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के वांछित अभियुक्त को**  
**किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2024 को वादिया ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नदीम पुत्र भूरा निवासी ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री से ट्यूशन से घर आते जाते समय उसका पीछा कर छेड़खानी करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 118/2024 धारा 354/354घ भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.06.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले वांछित अभियुक्त नदीम पुत्र भूरा निवासी ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को ग्राम बडकला के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

नदीम पुत्र भूरा निवासी ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 14.06.2024

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 20

ग्राम नाजायज स्मैक बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.06.2024 को गश्त /चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त नौमान पुत्र इसराईल निवासी पीर वाला मौहल्ला खेड़ा अफगान थाना नकुड़ सहारनपुर को पीर वाली मस्जिद ग्राम खेड़ा अफगान से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से 20 ग्राम नाजायज स्मैक गिरफ्तार की गयी । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर अभियुक्त नौमान उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 182/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त नौमान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तथा नशा करने का आदी हूँ । मैं अन्य राज्य से स्मैक खरीदकर यहां आस पास के क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को बेच देता हूँ । जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है और मेरे नशे का खर्चा चल जाता है । आज भी मैं स्मैक बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया ।

### अभियुक्त का नाम व पता:-

नौमान पुत्र इसराईल निवासी पीर वाला मौहल्ला खेड़ा अफगान थाना नकुड़ सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण -

20 ग्राम अवैध स्मैक

### अभियुक्त नौमान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 224/23 धारा 63 आबकारी अधि0 चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 72/24 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 2501 प्रताप सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14-06-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 03.05.2024 को वादी अंकुर सिंह पुत्र ओमपाल निवासी हिम्मतनगर सदर बाजार ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नीयत से मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 332/24 धारा 323/504/506/307 भादवि व 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **रितिक पुत्र खेमसिंह निवासी विनय विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को रामलीला मैदान हकीकतनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रितिक पुत्र खेमसिंह निवासी विनय विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -**

1. उ0नि0 राजीव गौर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. का0 2292 ब्रजेश थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14-06-2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कब्जे से 07 ग्राम अवैध स्मैक व स्मैक बेचकर कमाये 1440 रूपये बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **रहमान पुत्र राशिद निवासी मौ0 सडकपार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को मौ0 सडकपार से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त रहमान उपरोक्त के कब्जे से **07 ग्राम अवैध स्मैक** तथा स्मैक बेचकर कमाये **1440 रूपये नगद** बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर **मु0अ0स0-175/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त रहमान उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त रहमान उपरोक्त ने बताया कि मैं अन्य राज्य से स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर लाता हूँ और आसपास के गाँव में जाकर लोगों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ । आज भी मैं स्मैक बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रहमान पुत्र राशिद निवासी मौ0 सडकपार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।

### बरामदगी का विवरण:-

- 07 ग्राम अवैध स्मैक
- स्मैक बेचकर कमाये कुल 1440 रूपये

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री तोताराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1044 विपिन सैनी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14-06-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नांगल,सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2024 को वादिया श्रीमती सोमकला पत्नि स्व0 रामपाल निवासी बढेडी कोली थाना नांगल जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.अभिषेक 2.हिमांशु 3.कार्तिक पुत्रगण अमरनाथ 4.राजन पुत्र छोटेलाल निवासीगण बढेडी कोली थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया के लडके संजय व पोते आकाश पुत्र श्रवण पर जान से मारने की नियत से बलकटी से वार करना तथा वादिया व वादिया की पुत्रवधु के साथ गाली गलौज कर मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देनो के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 128/24 धारा 452/307/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना आईसी/प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना आज दिनांक 14.06.2024 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अभिषेक पुत्र अमरनाथ निवासी बढेडी कोली थाना नांगल जिला सहारनपुर** को ग्राम बढेडी कोली के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अभिषेक पुत्र अमरनाथ निवासी बढेडी कोली थाना नांगल जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. आईसी/प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र नागर थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 1926 अमित कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.06.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा **छेडखानी के अभियोग का 01 वांछित** अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.06.2024 को वादिया ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण **1. बन्ना पुत्र इरशाद 2. सोनिया पत्नि सलीम 3. सलीम पुत्र नाज़िम 4. जैबा पत्नी इसरार 5. चाँद पुत्र नाज़िम 6. सबिया पत्नी बन्ना निवासीगण मुखिया वाली गली, इन्द्रा चौक, थाना मण्डी, सहारनपुर** द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करना एवं छेडखानी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर **मु0अ0सं0 229/24 धारा 147,308,323,504,506,354(ख) भादवि** पंजीकृत कराया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर तत्काल घटना का संज्ञान लेकर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आवश्यक आदेश- निर्देश दिये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14/06/2024 को 01 नामजद वांछित अभियुक्त **सलीम पुत्र नाज़िम निवासी मुखिया वाली गली इन्द्राचौक कोतवाली मण्डी सहारनपुर** को इन्द्रा चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलीम पुत्र नाज़िम निवासी मुखिया वाली गली इन्द्राचौक कोतवाली मण्डी सहारनपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
- है0का0 157 संदीप थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
- का0 2221 लोकेश थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.06.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा पीएनबी बैंक की ब्रांच में चोरी का प्रयास करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 दाब व 01 चाकू बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.06.2024 को वादी अजय कुमार पुत्र सोबरनलाल शाखा प्रबंधक (पीएनबी सोना अर्जुनपुर) थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा दिनांक 13/14.06.2024 की रात्रि में बैंक की खिडकी का सरिया काटकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक में चोरी का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 135/24 धारा 380/457/511 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये पीएनबी बैंक सोना अर्जुनपुर में चोरी का प्रयास करने वाले वांछित अभियुक्त **विकास उर्फ विककी पुत्र पप्पू निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता सहारनपुर** को अर्जुनपुर फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 दाब व 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ विककी उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मैं पीएनबी बैंक के सामने चाट का ठेला लगाता हूँ और बैंक में भी रोजाना चाट देने जाता हूँ। मैंने बैंक में अलमारी में बहुत सारे पैसे रखे देखे तभी मेरे दिमाग में वहीं से चोरी करने की बात मेरे मन में आयी और मैंने रात को अपने घर से दाब व चाकू लेकर बैंक की खिडकी का सरिया दाब व चाकू से काटकर अन्दर घुस गया और अलमारी खोलकर देखा तो उसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिला।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

विकास उर्फ विककी पुत्र पप्पू निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता सहारनपुर।

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 01 चाकू
- 01 दाब

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 विजेन्द्रपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 490 अरविन्द थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 801 अनुज थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2228 हरिभान थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.06.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने में सहयोग**  
**करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.2024 को वादी उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सचिन पुत्र बिरमा सिंह निवासी ग्राम बमनौली जिला यमुनानगर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 147/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त रितेश पुत्र सिताब सिंह निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को आसराखेड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस व तीन मोबाईल फोन बरामद किये गये। अभियुक्त रितेश उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रितेश पुत्र सिताब सिंह निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण**

- 01 मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस
- 03 मोबाईल फोन

**अभियुक्त रितेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 249/21 धारा 10/4 उ0प्र0 ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 07/24 धारा 10/4 उ0प्र0 ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधि0 चालानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 59/24 धारा 10/4 भारतीय वन अधि0 चालानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

**अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सुनील चौहान थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. म0उ0नि0 अन्जू सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।